पत्र संख्या–स्था0 / सा0–01–31 / 2004–...................... / सी0

बिहार सरकार
गृह (विशेष) विभाग

प्रेषक,

राजभूषण प्रसाद,
सरकार के अवर सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (ले0 एवं हक0), बिहार,
वीरचंद पटेल पथ, पटना।

पटना, दिनांक मार्च, 2016

विषय :– **स्व0 बुद्धदेव बेसरा तत्कालीन कार्यालय परिचारी, गृह (विशेष) विभाग की पत्नी श्रीमती मंती देवी को औपबंधिक पारिवारिक पेंशन की स्वीकृति।**

स्व0 बुद्धदेव बेसरा तत्कालीन कार्यालय परिचारी, गृह (विशेष) विभाग का दिनांक 11.12.2015 को निधन के फलस्वरूप उनकी पत्नी श्रीमती मंती देवी को वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत सुसंगत परिपत्रों के निहित प्रावधानों के अंतर्गत औपबंधिक पारिवारिक पेंशन की स्वीकृति दी जाती है।

मृत कर्मचारी का विवरण :–

(1)	सरकारी सेवक का नाम एवं पदनाम	:– स्व0 बुद्धदेव बेसरा, तत्कालीन कार्यालय परिचारी
(2)	सरकारी सेवा में नियुक्ति की तिथि	:– 22.07.1993
(3)	मृत्यु की तिथि	:– 11.12.2015
(4)	कुल पेंशन प्रदायी सेवा	:– 22 वर्ष 04 माह 20 दिन
(5)	मृत्यु के पूर्व प्राप्त मूल वेतन	:– 9,630 / –
(6)	महंगाई भत्ता 119%	:– 11,460 / –
(7)	क्रमांक 5 एवं 7 का योग	:– 21090 / –
(8)	अनुमान्य कुल पारिवारिक पेंशन	:– 4815 / –
(9)	अनुमान्य 90% पारिवारिक पेंशन	:– 4334 / – तथा इस पर देय मँहगाई भत्ता

2. स्व0 बुद्धदेव बेसरा तत्कालीन कार्यालय परिचारी, गृह (विशेष) विभाग का दिनांक 11.12.2015 को निधन के पश्चात उनकी पत्नी श्रीमती मंती देवी को दिनांक 12.12.2015 के प्रभाव से 90% आपैबंधिक पारिवारिक पेंशन कुल 4334 / –(चार हजार तीन सौ चौतीस रू0) मात्र प्रतिमाह एवं अनुमान्य मँहगाई भत्ता की स्वीकृति दी जाती है।

3. औपबंधिक पारिवारिक पेंशन की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, गृह (विशेष) विभाग, बिहार, पटना होगें।

4. औपबंधिक पारिवारिक पेंशन का भुगतान सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से किया जायेगा।

5. पारिवारिक पेंशन की निकासी बजट शीर्ष–2071 पेंशन अन्य सेवा निवृति हित लाभ–सामान्य उप मुख्य शीर्ष–01 असैनिक लघु शीर्ष 105 अधिवर्सिता तथा सेवा निवृत भत्ते उप शीर्ष 0002 उत्तरवर्ती बिहार राज्य से सेवा निवृत होने वाले कर्मियों का पेंशन भुगतान के अन्तर्गत मांग संख्या 15 से विकलित होगा। इसका विपत्र कोड–एन0 2071011050002 होगा।

6. औपबंधिक पारिवारिक पेंशन की स्वीकृति इस शर्त पर की जाती है कि बाद में यदि पाया गया कि कम या अधिक राशि की भुगतान हुई है तो उसकी वसूली / प्रतिपूर्ति स्व0 बेसरा

(कृ0पृ0उ0)

की पत्नी श्रीमती मंती देवी अंतिम पारिवारिक पेंशन/मृत्यु–सह–उपादान या अन्य देय पावने से एक मुश्त कर ली जायेगी।

7. एतद् द्वारा पूर्व में निर्गत स्वीकृत्यादेश सं0–37, दिनांक–12.01.2016–सह–शुद्धि पत्र सं0–1202, दिनांक–08.02.2016 को निरस्त किया जाता है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से
ह0/–
(राजभूषण प्रसाद)
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक :–......241......../ पटना, दिनांक 11 मार्च, 2016

प्रतिलिपि :–वित्त विभाग, बजट शाखा, बिहार, पटना।
श्रीमती मंती देवी, पत्नी स्व0 बुद्धदेव बेसरा, ग्राम–बलजोरा, पो0–आनन्दपुर, थाना–लक्ष्मीपुर, जिला–जमुई, बिहार 811312।
लेखा शाखा, गृह (विशेष) विभाग। (दो प्रतियों में)
आई0टी0 मैनेजर, गृह (विशेष) विभाग।
दफ्तरी, गृह (विशेष) विभाग, बिहार, पटना।
को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

11.3.16
सरकार के अवर सचिव

11-03-16